

प्रेषक,

कु0 आराधना रानी,
पीठारसीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
जनपद रामपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय:- प्रत्यावेदन विरुद्ध वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2021-2022 में स्तम्भ 01 (i) में की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि, जो सम्मानित जनपद न्यायाधीश, सहारनपुर, श्री अश्विनी कुमार त्रिपाठी, द्वारा मुझे सूचित की गयी और मेरे द्वारा प्राप्त की गयी:-


आदरणीय महोदय,

वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ, वर्ष 2021-2022 के सम्बन्ध में मुझे ससम्मान निवेदन करना है कि:-

1- वार्षिक गोपनीय टिप्पणी वर्ष 2021-2022 के स्तम्भ 01 (i) में सम्मानित जनपद न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा बार-सदस्यों के साथ सम्बन्ध में यह प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की गयी है कि मैं स्नेहपूर्ण नहीं हूँ और इस वार्षिक-आकलन समय में बार एसोसिएशन के द्वारा, सामान्य रूप से न्यायिक कार्य सम्पादित करते समय मेरा व्यवहार अप्रतिष्ठित होने के कारण, प्रस्ताव पारित करते हुए दिनांक 17.08.2021 को मेरे न्यायालय में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया गया, ऐसा एक मामला उनके सामने आया है।

माननीय महोदय, इस विषयक मेरा ससम्मान निवेदन है कि यह प्रतिकूल प्रविष्टि तथ्यों के विरुद्ध है। मेरा बार के प्रत्येक अधिवक्ता के साथ सौम्य, स्नेहपूर्ण एवं प्रतिष्ठित, व्यवहार है और न्यायालय में उपस्थित होने वाले बार के किसी भी सदस्य/अधिवक्ता पर मैं कभी उत्तेजित नहीं होती हूँ और किसी भी अधिवक्ता को मेरे द्वारा सम्पादित किये जा रहे न्यायिक कार्य से कोई शिकायत नहीं रही है। मैं न्यायालय में सदैव शान्तिचित्त होकर निष्पक्षता से न्यायिक कार्य का सम्पादन करती हूँ तथा सम्मानित जनपद न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा भी वार्षिक प्रविष्टि के स्तम्भ 01 (b) में जनता एवं बार के साथ मेरे व्यवहार को न्याय-युक्त एवं पक्षपात रहित अंकित किया गया है।

सम्मानित जनपद न्यायाधीश, ने स्तम्भ 01 (i) में एक उदाहरण का उल्लेख किया है कि, 17.08.2021 को बार एसोसिएशन, सहारनपुर के प्रस्ताव से मेरे द्वारा अधिवक्ताओं से किये जाने वाले अप्रतिष्ठित व्यवहार के कारण मेरे न्यायालय का बहिष्कार किया गया था। माननीय महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करना है कि मेरे न्यायालय में एक जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-4380/2020 मेरे द्वारा न्यायालय का कार्य-भार ग्रहण करने के पूर्व से ही, लम्बित था, जिसमें मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा अन्तरिम जमानत जारी की गयी थी और इस अपराध में एक अधिवक्ता अभियुक्त है। इस जमानत प्रार्थनापत्र के प्रार्थी/अधिवक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु अगस्त 2021 के पूर्व कई बार बार-एसोसिएशन के पदाधिकारियों/सदस्यों द्वारा मुझ पर न्यायालय एवं विश्राम कक्ष में अभियुक्त/अधिवक्ता को जमानत पर छोड़े जाने हेतु दबाव बनाया गया था और मुझसे यह अपेक्षा की गयी कि मैं उस अभियुक्त/अधिवक्ता को नियमित जमानत पर छोड़ दूँ। यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन एवं उचित होगा कि बाद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र (फौजदारी) संख्या 224/2020 में, समस्त आपराधिक कार्यवाही


18/06/2022

मय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-4380/2020 (अनिल जुनेजा बनाम राज्य) को जनपद सहारनपुर से जनपद बागपत यह लिखते हुए कि, उनके समक्ष प्रस्तुत समस्त अभिलेख से विपक्षी संख्या-2/अभियुक्त/अधिवक्ता के पक्ष में अधिवक्ताओं का अनुचित दबाव एवं प्रभावित करने की रण कौशलता दृष्टिगोचर होती है, दिनांक 04.05.2022 को स्थानान्तरित कर दिया था।

महोदय, मेरे द्वारा उक्त जमानत प्रार्थनापत्र के अभियुक्त/अधिवक्ता को नियमित जमानत देने के लिए बार-एसोसिएशन के सदस्यों को कोई आश्वासन न देने के कारण से ही मेरे न्यायालय का अगस्त 2021 में बहिष्कार किया गया था।

महोदय, विधि एवं नियम के दायरे में ही बार के सदस्यों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार, रखा जाना मेरे जैसे न्यायिक अधिकारी से अपेक्षित था और वही मैंने जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का आश्वासन न देकर किया था।

2- वार्षिक गोपनीय टिप्पणी वर्ष 2021-2022 के स्तम्भ-2 में मेरा सम्पूर्ण ऑकलन, "Good" अंकित किया गया है। माननीय महोदय इस विषयक मुझे ससम्मान यह निवेदन करना है कि मैंने उक्त निर्धारण वर्ष 2021-2022 के दौरान न केवल निर्धारित कार्य-मानक को पूर्ण किया गया है अपितु दस वर्ष से अधिक समय से लम्बित 51 वाद, पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित 10 वाद एवं 37 इजराय वादों को अथक् प्रयास द्वारा निस्तारित भी किया है।

सम्मानित जनपद न्यायाधीश, सहारनपुर के आंकलन के अनुसार ही मेरा जनता एवं बार के साथ व्यवहार न्याययुक्त एवं पक्षपात रहित है, न्यायालय में मैं शान्तचित्त थी और न्यायालय में कभी उत्तेजित भी नहीं हुयी। मेरा व्यक्तिगत चरित्र मेरे पद को कमतर करने वाला नहीं है। मेरे द्वारा पारित निर्णय तथ्यतः एवं विधितः युक्तियुक्त एवं तर्क संगत एवं अच्छी भाषा में दिये गये हैं। मैंने अपने निर्णयों में तथ्यों का कमबन्धन, साक्ष्यों का मूल्यांकन एवं कानून को लागू करना उचित प्रकार से किया है। मैं सदैव न्यायालय में समय से उपस्थित रही हूँ और मेरी सत्यनिष्ठा सम्मानित जनपद न्यायाधीश, सहारनपुर द्वारा प्रमाणित की गयी है।


माननीय महोदय, उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में, मेरा ससम्मान निवेदन है कि मेरे न्यायिक कार्य, सेवाकाल एवं निष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2021-2022 में मुझे स्तम्भ 01 (i) द्वारा दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाया जाना (Expunge) अत्यन्त आवश्यक है।

अस्तु माननीय महोदय से मेरा ससम्मान निवेदन है कि मेरे प्रत्यावेदन को माननीय न्यायालय के समक्ष मेरी स्तम्भ 01 (i) में दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाये जाने (Expunge) तथा मेरी श्रेणी "Good" को उचित उच्च श्रेणी के रूप में अंकित किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें ताकि मुझे दी गयी उक्त प्रतिकूल प्रविष्टि को हटाया (Expunge) जा सके तथा मेरे साथ न्याय होकर मुझे भविष्य में होने वाली अपूर्णनीय क्षति को रोका जा सके जिससे मेरा न्यायिक भविष्य सुरक्षित रह सके।

प्रार्थिनी इस दयालुता हेतु माननीय न्यायालय की सदैव आभारी रहेगी।

ससम्मान,

भवदीया,


(कु0 आराधना रानी)

पीठासीन अधिकारी,

मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
जनपद रामपुर।